सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 26 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 26 के कार्यान्वयन और अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करने के लिए नालको ने पर्याप्त कदम उठाए हैं। यथा -

इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग और लोक अधिकारियों द्वारा अपनी गतिविधियों के बारे में समयानुसार और प्रभावी प्रसार को बढ़ावा देने के लिए सटीक जानकारी का उल्लेख करने, कर्मचारियों की समझ विकसित करने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों, प्रशिक्षण सत्रों, कार्यशालाओं का नियमित विकास एवं आयोजन; विशेष रूप से अपने नोडल अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रासंगिक और आसानी से समझने योग्य मार्गदर्शिका और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करके उन्हें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, इसके उद्देश्यों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के लिए प्रशिक्षण देना।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, लोक प्रशासन संस्थान, बेंगलूरू के प्रधान निदेशक की संकाय सहायता से 28 से 29 जून 2021 के दौरान, 30 कर्मचारियों को तथा 27 से 29 जनवरी 2022 के दौरान, 13 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें कार्यपालक तथा गैर-कार्यपालक दोनों सम्मिलित थे। इंस्टिट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के माध्यम से 28 जून 2021 को 05 कार्यपालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा 7 से 8 अक्टूबर 2021 को आईबीसी मुम्बई के द्वारा 05 कार्यपालकों को प्रशिक्षित किया गया। अभी वित्त वर्ष 2021-22 तक कार्यपालकों तथा गैर-कार्यपालकों सहित कुल 314 कर्मचारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

LALATENDU DAS

Digitally signed by LALATENDU DAS
Date: 2022.09.13 12:36:00 +05'30'